**जोखिम भरा काम:**
भारत में भ्रष्टाचार पर कार्य करने वाले पत्रकारों को इसकी कीमत कभी अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है

**इस रिपोर्ट के बारे में**

CPJ द्वारा 1992 से पत्रकारों की हत्या के रिकार्ड रखे जाने से लेकर, अपने काम की वजह से मार दिए गए 27 पत्रकारों के मामले में अब तक किसी को कोई सजा नहीं मिली है। मारे गए पत्रकारों में से आधे नियमित रूप से भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की रिपोर्टिंग करते थे। वर्ष 2011 से 2015 के बीच मारे गए जगेन्द्र सिंह, उमेश राजपूत और अक्षय सिंह के मामलों से पता चलता है कि बड़े शहरों की अपेक्षा छोटे शहरों के पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने में कितना अधिक जोखिम होता है, और यह भी पता चलता है कि भारत में दंड के अभाव की संस्कृति किस प्रकार देश की प्रेस को खतरों और जोखिमों में डाल रही है। **कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स की एक विशेष रिपोर्ट।**

**इंट्रोडक्शन: दंड का अभाव और एकता की कमी से भारतीय पत्रकार हमलों के शिकार हो रहे हैं।**
सुमित गल्होत्रा

भ्रष्टाचार संबंधी घोटालों से लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली सुर्खियां बनती हैं, लेकिन जब इस गलत कार्य को उजागर करने वाले पत्रकारों की मृत्यु हो जाती है तो प्राय: उनकी हत्या के साथ ही स्टोरी का भी अंत हो जाता है। पिछले आठ वर्षों से भारत का नाम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के वार्षिक इम्प्यूनिटी इंडेक्स में निरंतर बना हुआ है। इस इंडेक्स में उन देशों के नाम दर्शाए जाते हैं जहां पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है और उनके हत्यारे स्वतंत्र घूमते रहते हैं। अपराधियों को कभी-कभार ही गिरफ्तार किया जाता है और CPJ ने ऐसा एक भी मामला रिकार्ड नहीं किया, जिसमें भारत में अपने कार्य के संबंध में मारे गए पत्रकार के दोषियों को सजा दी गई हो।

वर्ष 1992 से मार दिए गए जिन 27 पत्रकारों का CPJ ने दस्तावेजीकरण किया, उनके मामले में भ्रष्टाचार और राजनीति दो सबसे घातक संहारक सिद्ध हुए थे। भारत के खराब दंडाभाव रिकार्ड और पत्रकारों को परेशान अथवा उन पर हमला किए जाने के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए, विशेषकर उत्तरप्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, CPJ ने न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों और पत्रकारों द्वारा गलत कार्यों की रिपोर्टिंग के दौरान सामना किए जाने वाले जोखिमों को समझने के लिए प्रेस के सदस्यों, वकीलों और तीन मृत पत्रकारों के परिजनों से बात करने के लिए मार्च 2016 में भारत का अन्वेषणात्मक दौरा किया।

भारतीय प्रेस जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उन्हें जगेन्द्र सिंह, उमेश राजपूत और अक्षय सिंह के मामलों द्वारा समझा जा सकता है। इन तीनों की मृत्यु का इस रिपोर्ट में परीक्षण किया गया। तीनों पत्रकारों की अंतिम रिपोर्टों के पीछे मुख्य कारण भ्रष्टाचार था, लेकिन इन तीनों मामलों में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। स्वतंत्र पत्रकार जगेन्द्र सिंह, जो जून 2015 में एक स्थानीय मंत्री पर लगे जमीन कब्जाने और बलात्कार के आरोपों की रिपोर्टिंग कर रहे थे, कथित तौर पर पुलिस द्वारा जलाए जाने से मारे गए। वर्ष 2011 में गोली से मारे जाने से पूर्व, उमेश राजपूत चिकित्सा लापरवाही के आरोपों पर और एक राजनेता के बेटे के जुए के अवैध कारोबार में

शामिल होने के दावों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। जुलाई 2015 में जब खोजी पत्रकार अक्षय सिंह की अप्रत्याशित मौत हुई तो उस समय वे एक बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापम दाखिला घोटाले से जुड़ी एक स्टोरी पर काम कर रहे थे।

बड़े शहरों और आउटलेट के पत्रकारों की तुलना में छोटे शहरों के पत्रकारों द्वारा उठाए गए जोखिमों के बीच स्पष्ट अंतर के संदर्भ में CPJ ने प्राधिकरणों द्वारा स्वतंत्र जांच में दिखाए जाने वाले प्रतिरोध और काफी अधिक विलंब से बाधित कानूनी प्रक्रिया का एक पैटर्न पाया। CPJ ने जिन वकीलों और पत्रकारों के परिवारों से बात की, उन्होंने बताया कि आमतौर पर पुलिस पर्याप्त जांच करने अथवा हमलावरों को पहचानने और पकड़ने में विफल रही है। भारत में आमतौर पर जिस प्रकार से पत्रकारों की हत्याओं की जांच की जाती है उसके अपवाद के रूप में इस रिपोर्ट में जांच किए जा रहे तीन मामलों में से दो की जांच भारत की राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है। मीडिया संगठनों ने सभी पत्रकारों की मौत की जांच ब्यूरो द्वारा कराए जाने की मांग की है।

**'भ्रष्टाचार एक खतरनाक बीमारी बन गया है'**

सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित जो पत्रकार और ह्विसल ब्लोअर सूचना का अधिकार कानून का प्रयोग करते हैं, उन्होंने भारत में भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले कुछ वर्षों में, देश में अनेक घोटाले हुए, जिनमें वर्ष 2010 में भारत द्वारा राष्ट्रमण्डल खेलों के आयोजन के दौरान धन के दुरुपयोग के आरोप और वर्ष 2011 का टेलीकम्युनिकेशन रिश्वतखोरी मामला जिसे 2G घोटाले के नाम से जाना जाता है, शामिल हैं। 2G घोटाला टाइम पत्रिका की "Top 10 Abuses of Power" सूची में अमेरिका के वाटरगेट भ्रष्टाचार के बाद दूसरे स्थान पर था। पुलिस और अन्य सरकारी संस्थाओं का भ्रष्टाचार प्रतिदिन सुर्खियां बनता है।

इस समस्या के निराकरण के लिए वर्ष 2011 में अन्ना हजारे नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने भ्रष्टाचार के संदेह के घेरे में आए राजनेताओं और सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए एक स्वतंत्र लोकपाल की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी। उनके भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिणामस्वरूप आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ जो भ्रष्टाचार के खात्मे पर केन्द्रित है। इस समय इस पार्टी के पास दिल्ली की सत्ता है।

जब वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी भ्रष्टाचार से लड़ने को अपने चुनाव अभियान का प्रमुख मुद्दा बनाया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के सुर्खियों में रहने वाले कई घोटलों में फंसने के बाद, मोदी ने उस वर्ष अगस्त में आयोजित एक रैली में कहा था, "देश में भ्रष्टाचार बेहद खतरनाक बीमारी बन गया है। यह कैंसर से भी खतरनाक है और यह देश को बर्बाद कर सकता है।"

मीडिया विशेषज्ञों का कहना है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की कसम खाने के बावजूद प्राधिकरणों ने उन गलत कार्यों को उजागर करने का प्रयास करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बहुत कम कदम उठाए हैं। भारत में कोई भी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता की प्रबल पक्षधर नहीं रही। वर्षों से सत्ता पर काबिज रहने वालों की चुप्पी - चाहे

कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो अथवा राज्य सरकारों को चलाने वाली क्षेत्रीय पार्टियां हों - ने दंड के अभाव की संस्कृति को ही बढ़ावा दिया है।

**न्याय पाने के रास्ते में आने वाली बाधाएं**

भारत का बहुत बड़ा आकार - 29 राज्यों और सात केन्द्र शासित प्रदेशों में फैली 1.2 बिलियन जनसंख्या - सरकार की विकेन्द्रीकृत प्रणाली न्याय पाने में चुनौती है। कानून और व्यवस्था पर राज्यों का अधिकार है जिससे प्रेस के विरुद्ध होने वाली हिंसा के प्रति राष्ट्रव्यापी कार्रवाई करने के प्रयासों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

न्याय की मांग करने वाले परिवारों को लंबी और जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, इस प्रक्रिया की शुरुआत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराने से होती है, जो पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करने और कार्रवाई शुरू किए जाने का शुरुआती कदम है। जैसाकि CPJ का अनुसंधान दर्शाता है, यह प्रक्रिया अभियोग स्तर तक विरले ही पहुंचती है।

मुम्बई स्थित मीडिया वाच वेबसाइट *द हूट* की कंसल्टिंग एडीटर गीता सेषु कहती हैं कि वो नहीं मानतीं कि कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेंसियां अपराधियों को दण्ड दिलवाने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे अनेक मामले याद हैं जिनमें पुलिस ने पत्रकारों को धमकी दिए जाने, उन पर हमले किए जाने अथवा उनकी मौत पर पहली प्रतिक्रिया यह दी कि वह व्यक्ति पत्रकार नहीं था अथवा उस पर जो हमला हुआ वह उसके कार्य से संबंधित नहीं था। “एक विचलन होता है और वही कहानी बन जाता है। वही जांच का तरीका बन जाता है।”

उन्होंने कहा, “हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली स्थानीय पुलिस पर बहुत अधिक निर्भर करती है।” किसी भी जांच में प्रथम चरण के लिए पुलिस जिम्मेदार होती है। उनका कहना है कि दोषपूर्ण प्रथम सूचना रिपोर्ट, कानून की उचित धाराएं न लगाने, गवाहों के बयान स्पष्ट रूप से रिकार्ड न करने अथवा असुरक्षित गवाहों को सुरक्षा प्रदान न करने और प्राथमिक जांच पर अनुवर्ती कार्रवाई न करने से मामले में नुकसान हो सकता है।

बहुत कम मामलों में राज्य प्राधिकरणों अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपे जाने की सिफारिश की जाती है, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छे परिणाम ही मिलें। सितम्बर, 2015 में ब्यूरो ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि उस पर काम का दबाव बहुत अधिक है और स्टाफ की कमी है। इस जांच एजेंसी के स्रोतों की रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 16 प्रतिशत अर्थात् 724 पद खाली थे; ब्यूरो 1,200 से भी अधिक मामलों की जांच कर रहा था और 9,000 मामले अदालतों में लंबित थे। पत्रकारों और एक वकील ने बताया कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच का एक फायदा यह होता है कि यह जांच को प्रभावित कर सकने वाली स्थानीय सत्ता संरचना के प्रभाव में नहीं होती, लेकिन वे भी इस एजेंसी की प्रभावशीलता को लेकर आश्वस्त नहीं थे।

CPJ को पिछले 10 वर्षों में केवल एक ही हत्या के मामले में संदिग्ध को सजा दिए जाने की जानकारी है। तथापि, अपील करने पर संदिग्ध को छोड़ दिया गया था। यदि न्यायालय भी किसी मामले को सुनता है तो उसमें भी विलंब

होता है। CPJ के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2013 के अंत में भारतीय अदालतों में 31 मिलियन से अधिक मामले लंबित थे।

दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की महासचिव, सुजाता मधोक ने CPJ को बताया, "प्रताड़ित करने की हद तक धीमी भारतीय न्यायिक प्रणाली, पुलिस बल में भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधिकरण ने हत्या के मामले में बच निकलने को वस्तुत: संभव बना दिया है।"

पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित 2015 की एक रिपोर्ट में, प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के मूल्यों के प्रहरी के रूप में वर्ष 1966 में संसद द्वारा स्थापित भारतीय प्रेस परिषद ने पाया कि, "हालांकि देश में सुदृढ़ लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं और जीवंत तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है, फिर भी पत्रकारों के हत्यारों को सजा नहीं मिल पा रही। यह स्थिति सचमुच खतरनाक है और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यों को प्रभावित करेगी।" परिषद्, जिसकी अध्यक्षता किसी सेवानिवृत्त न्यायधीश द्वारा की जाती है और जिसमें कार्यरत पत्रकारों, सांसदों, कानून, शिक्षा और संस्कृति के विशेषज्ञों सहित 28 सदस्य होते हैं, ने इसकी वकालत की है कि संसद को एक राष्ट्रव्यापी पत्रकार सुरक्षा कानून बनाना चाहिए। परिषद् यह भी चाहती है कि पत्रकारों की हत्याओं के मामलों की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) अथवा किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए और यह जांच तीन महीनों में पूरी हो जानी चाहिए।

राज्य मंत्री**,** पुलिस प्रभाग**,** सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन ने इस रिपोर्ट में परीक्षण किए जा रहे मामलों की स्थिति पर इंटरव्यू देने अथवा टिप्पणी करने के CPJ के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया।

**ग्रामीण और शहरी पत्रकारों के बीच अंतर**

CPJ ने पाया कि दूर-दराज के क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को धमकियों और हिंसा का जोखिम अधिक होता है। स्थानीय पत्रकारों और मीडिया विशेषज्ञों ने CPJ को बताया कि ऐसे क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को प्राय: विज्ञापन तलाशने होते हैं, वितरण और रिपोर्टिंग भी संभालना होती है। इसके अलावा, वेतन कम और वित्तीय सुरक्षा का अभाव होता है।

सुजाता मधोक ने कहा, "यदि उन पर निशाना साधा जाता है तो उन्हें अपने नियोक्ता से विरले ही कोई सहायता मिलती है। ये यदा-कदा ही पत्रकार संघों के सदस्य होते हैं क्योंकि वे ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां मुश्किल से ही कोई अन्य पत्रकार रहते हैं।"

भारत में हमलों और उत्पीड़न के संबंध में CPJ का अनुसंधान दर्शाता है कि बड़े कस्बों और शहरों के पत्रकारों और प्रमुख समाचार आउटलेट के लिए काम करने वाले पत्रकारों के विरुद्ध हुए हिंसा के मामलों को छोटे कस्बों के पत्रकारों पर हुए हिंसा के मामलों की अपेक्षा अधिक महत्व मिलता है। *द हूट* की गीता सेषू कहती हैं, "ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों और बड़े शहरों में काम करने वाले पत्रकारों के बीच बहुत बड़ी खाई है।"

गीता सेषू ने CPJ को बताया कि बड़े आउटलेट के लिए काम करने वाले पत्रकारों को विश्वसनीय पत्रकार के रूप में देखे जाने की संभावना अधिक होती है, जबकि छोटे कस्बों के पत्रकारों की वैधता पर प्राय: प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

दिल्ली आधारित स्तंभकार और *द हूट* की संस्थापक संपादक सेवन्ती नैनन कहती हैं, "भारत में कौन पत्रकार है, इसके बारे में यह बेचैनी है। लेकिन हम इस बात से सहमत हैं कि ये समाचार जुटाने वाले लोग हैं। समाचार जुटाने का यह कार्य ही उन्हें मुश्किल में डाल देता है।"

मीडिया विशेषज्ञों के अनुसार ऑनलाइन ट्रोल, टिप्पणीकार और राजनेता प्रेस को बदनाम करने में देर नहीं करते। CPJ ने पूरे सोशल मीडिया में "presstitutes" और "sickular media" जैसे शब्द पाए। दक्षिण-पंथी फेसबुक ग्रुप जैसे Presstitutes और India Against Presstitutes, जिनके हजारों फॉलोअर हैं, वे पत्रकारों और विपक्षी राजनेताओं की खुलेआम आलोचना करते हैं। सुजाता मधोक के अनुसार, महिला पत्रकार दुर्व्यवहार, हिंसा की धमकियों और बदनाम करने वाले ऑनलाइन अभियानों के चलते अधिक असुरक्षित होती हैं। उन्होंने CPJ को बताया कि पुलिस को शिकायत करने का कोई फायदा नहीं होता।

वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य, प्रांजॉय गुहा ठाकुरता कहते हैं, "इस सरकार के मंत्रियों द्वारा मीडिया को बदनाम करना और सभी को एक ही ब्रुश से कलंकित करना एक चलन बन गया है।" उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया के एक अंग द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने और उनके नैतिक पतन के परिणामस्वरूप पूरी भारतीय प्रेस की साख को नुकसान पहुंचा है।

**विखंडित प्रेस**

जिन पत्रकारों से CPJ ने बातचीत की उनमें से कई पत्रकारों ने यह विचार दोहराया कि जब भारत में किसी पत्रकार पर कोई हमला होता है अथवा किसी पत्रकार की हत्या होती है तो मीडिया बिरादरी और समाज द्वारा आमतौर पर कम नाराजगी प्रकट की जाती है। इसका एक अपवाद दिल्ली में देखने को मिला। फरवरी 2016 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में एक हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई को कवर करने के लिए एकत्र हुए प्रेस के सदस्यों पर वकीलों की भीड़ ने हमला कर दिया। इसके विरोध में शहर के कई नामी पत्रकारों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। इसके विपरीत, उसी सप्ताह CPJ ने लिखित प्रमाण जुटाया कि राजधानी से 12 घंटे के सफर की दूरी पर स्थित एक छोटे से कस्बे के पत्रकार करुण मिश्रा की उनके काम के स्पष्ट प्रतिकार में किस प्रकार हत्या कर दी गई। उनकी मौत पर न तो उस स्तर का ध्यान दिया गया और न ही कार्रवाई की मांग की गई।

गीता सेषू ने CPJ को बताया कि मीडिया के अलग-अलग धड़ों में बंटे होने के कारण हमलों के प्रति एकजुट प्रतिक्रिया देने का अभाव रहा है। उन्होंने कहा, "पत्रकार अपने ऊपर हुए हमलों को एक समुदाय के रूप में कम करके आंकते हैं और एक आवाज में नहीं बोलते। हम आपस में विखंडित हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हम दंड के अभाव की इस संस्कृति से लड़ने के लिए किसी भी प्रकार का आंदोलन चलाने से कोसों दूर हैं। यहां तक कि एक पत्रकार के

रूप में इस प्रकार की चीजों के प्रति विरोध प्रकट करने की संस्कृति भी प्राय: खो गई है।"

उन्होंने कहा कि मीडिया संगठनों को अपने कर्मचारियों के प्रति अधिक जवाबदेह होना चाहिए। समाचार आउटलेट के कुछ संपादक पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देते हैं। CPJ ने पाया है कि हालांकि सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पत्रकार अपना कार्य सुरक्षित तरीके से कर सकें, मीडिया संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, विशेषकर स्वतंत्र पत्रकारों और स्थानीय पत्रकारों और अनियमित पत्रकारों की सुरक्षा करने में।

कई प्रमुख भारतीय शहरों में प्रेस संघ हैं, लेकिन पिछले दशक के दौरान इन संघों का ध्यान सक्रिय पत्रकारों और मीडिया के कर्मचारियों के श्रमिक अधिकारों के कार्यान्वयन पर और अधिक वेतन सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों में मुकदमे लड़ने पर केन्द्रित रहा है। तथापि, सुजाता मधोक का कहना है कि सुरक्षा के मुद्दे तेजी से प्राथमिकता के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और अन्य संगठन एक ऐसे कानून की मांग कर रहे हैं जो पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया करा सकें। हाल के महीनों में, मीडिया संगठनों द्वारा टकराव की स्थितियों की रिपोर्टिंग और दंगों के कवरेज के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, और मांग की है कि नियोक्ताओं को जोखिम बीमा के लिए भुगतान करना चाहिए। उन्होंने कहा, "पत्रकारों पर हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इन प्रयासों को तेज किए जाने की आवश्यकता है।"

पिछले वर्ष मीडिया में अपने साथियों की सुरक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अभियान चला था। फरवरी, 2015 में, मीडिया संगठनों के एक गठबंधन ने और प्रेस की आजादी से जुड़े समूहों ने ACOS (ए कल्चर ऑफ सेफ्टी) संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में स्वतंत्र पत्रकारों और संगठनों के लिए दिशा-निर्देश और प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। विभिन्न देशों के 65 से अधिक संगठन इस संधि से जुड़े हैं लेकिन अभी तक भारत का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है।

**दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत**

विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते यह महत्वपूर्ण है कि भारत अपने मीडिया के लिए रक्षा उपाय करने और प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करे। कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि लोकतांत्रिक मानकों को आगे बढ़ाने का एक अंत:सरकारी संगठन है, के एक संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को महत्वपूर्ण सिद्धांतों के रूप में कायम रखने की प्रतिबद्धता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तथापि, भारत - अपने पड़ोसी देशों, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तथा संघर्ष प्रभावित देश दक्षिण सूडान, सोमालिया और सीरिया के साथ - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए अधिदेशित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, यूनेस्को महानिदेशक की 2014 की छमाही इम्प्युनिटी रिपोर्ट के लिए पत्रकारों की हत्याओं के संबंध में की गई जांचों पर नवीनतम जानकारी देने में विफल रहा है। CPJ की 2015 इम्प्युनिटी रिपोर्ट में पाया गया कि यह विफलता अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही का अभाव दर्शाती है।

यदि भारत लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखता है और पत्रकारों के बचाव और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक मैकेनिज्म स्थापित करता है तो यह दण्ड के अभाव से लड़ने में प्रगति करना शुरू कर देगा। भारतीय प्राधिकरण कोलंबिया सहित उन देशों द्वारा प्रयोग की जा रही श्रेष्ठ पद्यतियों से सीख ले सकते हैं जिनके मीडिया को खतरों का सामना करना पड़ रहा है, इन पद्यतियों में बुलेटप्रूफ जैकेट मुहैया कराना, पुलिस के बॉडीगार्ड मुहैया करना और पुनर्स्थापन की पेशकश करना शामिल है; और साथ ही मेक्सिको से भी सीख ले सकते हैं जहां प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर होने वाले हमलों की जांच करने के लिए एक संघीय प्रोसिक्यूटर का ऑफिस स्थापित किया गया था।

तीव्र और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया कराकर और राजनैतिक सहायता पहुंचाकर भारत की सरकार देश की प्रेस को समर्थन देने का शक्तिशाली संदेश देगी। देश के पत्रकारों, मीडिया संगठनों और प्रेस संघों को भी अपने साथियों पर हो रहे हमलों के विरुद्ध सशक्त, संगठित आवाज उठाने की भूमिका निभानी होगी।